फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... **सहायक कलक्टर** .... मुकाम– .... **डीडवाना** ....

प्रार्थी:– जयराम चौधरी पुत्र भागुराम जाति जाट निवासीगण आगुन्ता तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना कुचामन राज. ।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– रामनिवास पुत्र भागुराम जाति जाट निवासीगण आगुन्ता तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना कुचामन राजस्थान, वगैरा।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या **226 /2025** सन्–**2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
13.11.2025	प्रार्थी जयराम चौधरी पुत्र भागुराम जाति जाट निवासीगण आगुन्ता तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना कुचामन राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण रामनिवास पुत्र भागुराम जाति जाट निवासीगण आगुन्ता तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना कुचामन राजस्थान, वगैरा ने पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर वकील प्रार्थी श्री मो. अली शेरानी को एकपक्षीय तर्क सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे आगामी पेशी तक सरहद आगुन्ता पटवार हल्का आगुन्ता के खसरा नम्बर 346 की भूमि में अप्रार्थीगण निर्माण नहीं करे एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। **नोट** :– 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251, पर प्रभावी नही रहेगा। 2. प्रार्थी पक्ष सी०पी०सी० के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। आदेश 39 नियम 3 की पालना न होने पर उक्त आदेश आगामी तारीख पेशी को स्वतः निरस्त समझा जायेगा। 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनांक 19.12.2025 को पेश हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना Signature Not Verified Digitally signed by Vikas Mohan Bhati Date: 2026.04.10 12:46:11 IST Reason: SelfAttested	

15.12.25

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली को आज की तारीख पेशी में लेने के लिए निवेदन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली को विड्रो करवाना चाहा व पत्रावली को आगे नहीं चलाने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्याय हित में स्वीकार किया जाकर फैसला सुनाकर लेकर नम्बर से कम हो।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 12:46:11 IST
Reason: SelfAttested